

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आर०एल०आर०  
 रिपोर्ट पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 गाँव पालना के खेत नं० 46 में खेती का नाम संवत् 2021  
 में जमाव पु गंगाराम दर्ज है। जो कि खेती करने वाले के नाव पर  
 जमाव पु गंगाराम किया जाना उचित है।

कार्यालय, तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी 11/11/21

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने की अभिराया की जाती है / नहीं की जाती है।

1247  
2021

उत्तर दिनांक 11/11/21  
द्वारा

तहसीलदार (भू०अ०)  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पालना	2015-18	46	खेती का नाम पु गंगाराम	खेती का नाम पु गंगाराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1054-55

दिनांक :- 11/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी